बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 23.7.21

संख्या–18/लो०से०अ०–12–01/2016(खण्ड–I)......7438......./बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 4, 2011) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1423 दिनांक–11.05.2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं अधिसूचना सं0–19431 दिनांक–23.12.2013 के परिशिष्ट–1 में क्रमांक–36,37 एवं 38 पर राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित सेवाओं को तुरन्त के प्रभाव से जोड़ा जाता है :–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा
36	नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) i. अंचल स्तर पर	राजस्व पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
	ii.अनुमंडल स्तर पर	अनुमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	iii. जिला स्तर पर	अपर समाहर्ता	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
37	नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ) i. अंचल स्तर पर	राजस्व पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
	ii. अनुमंडल स्तर पर	अनुमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	iii. जिला स्तर पर	अपर समाहर्ता	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
38	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र का निर्गमन i. अंचल स्तर पर	राजस्व पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
	ii. अनुमंडल स्तर पर	अनुमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	iii. जिला स्तर पर	अपर समाहर्ता	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

3. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन इन सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय, पर पूर्व में निर्गत विहित आवेदन प्रपत्र मान्य होंगे।

4. संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार, समय–समय, पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.7.21

(रचना पाटिल)
सरकार के अपर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड–I)सा0प्र0......7438...../पटना 15 दिनांक–..23.7.21.......

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

20.7.21

सरकार के अपर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड–I)सा0प्र0......7438./पटना 15 दिनांक–..23.7.21.......

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–16.07.2021 के मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.7.21

सरकार के अपर सचिव।